न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
04 / 2018	**FSS ACT**	04.07.2018	14.2.2024

1. श्री वेद प्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. श्री कृष्ण कुमार मित्तल पुत्र केदार प्रसाद मित्तल, उम्र 40 वर्ष जाति महाजन (फर्म मालिक मौके पर विक्रेता) मैसर्स कृष्णा एग्रीकल्चर एण्ड डेयरी प्रोडक्टस उघाड़मल बालाजी अल्का बजाज बगीची के पास मिर्जापुर, गंगापुर सिटी

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 14.2.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 24.04.2015 को लगभग 02:00 पीएम पर मैसर्स कृष्णा एग्रीकल्चर एण्ड डेयरी प्रोडक्टस उघाडमल बालाजी, गंगापुर सिटी पर पहुंचा वहा पर श्री कृष्ण कुमार मित्तल पुत्र केदार प्रसाद मित्तल (मौके पर विक्रेता एंव फर्म मालिक) निवासी उघाड़मल बालाजी, गंगापुर सिटी उपस्थित था, को मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया मौके पर विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र की छाया प्रति पेश की तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में डेयरी का निरीक्षण किया डेयरी में विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (खुला) 10 एलयूमिनियम कैन में लगभग 350 लीटर रखा हुआ था मानक स्तर का नही होने का शक होने पर विक्रेता की उपस्थिति में नमूना वास्ते जांच लेने की सूचना फार्म नं0–5 अ की प्रति स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (खुला) में से 01 कैन में जिसमें लगभग 40 लीटर मिश्रित दूध था को हिला–मिलाकर 02 लीटर मिश्रित दूध खुला वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 80 रूपये नकदी चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गय मिश्रित दूध (खुला) को 02 लीटर को चार भागों में विभक्त कर कांच की साफ एंव सूखी शिशियो में भरकर 40–40– बूंदे फार्मिलिन की डालकर ढक्कन लगा कर एयर टाईट बंद किया मैरे द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेट कर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से

एव

प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच–618 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 06 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 06 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक उपेन्द्र मिश्रा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा करा कर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो कि आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म संख्या 06 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की प्रति के डी ओ (मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/1572 दिनांक 21.05.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिर्पोट सं0 एफएसएसएल/कोटा/2015/411 दिनांक 15.05.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (खुला) सब स्टेण्डर्ड पाया गया (SUB-Standerd) पाया गया है। जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

विक्रेता द्वारा पुनः जांच हेतु डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को फार्म नम्बर 08 अपील की गई। फार्म नम्बर 08 एंव फार्म नम्बर 06 ए की मूल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/2701 दिनांक 16.09.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि रैफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजीयाबाद से प्राप्त जांच सट्रिफिकेट नम्बर/596/Sept/15-Raj दिनांक 01. 09.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (खुला) सब स्टेण्डर्ड पाया गया (SUB-Standerd) पाया गया है। जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक एफएसएसए/2015/1572 दिनांक 21.05.2015 की पालना में श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/11 दिनांक 01.01.2016 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (खुला) विक्रय एंव निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त ने अपने जबाव में निवेदन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त कस्बा गंगापुर सिटी में मैसर्स कृष्णा एग्रीकल्चर एण्ड डेयरी प्रोडक्टस के नाम से दुग्ध उत्पाद विक्रय का कार्य करता है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का प्रभावी लाईसेन्स है, विक्रेता ने कभी कोई मिलावट का कार्य नही किया है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्राथी/अभियुक्त के प्रतिष्ठान पर आकर कई खाली कागजों पर बिना कुछ बताये पुलिस का भय दिखाकर हस्ताक्षर करवा लिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता को नमूने के कोई रुपये नही दिये और ना ही विक्रेता के सामने सैम्पलिंग की कोई कार्यवाही की आवेदक खाद्य सुरक्षा

... कलेक्टर एवं
... मजिस्ट्रेट

ओर मानक अधिनियिम 2006 की धारा 37 (1) सपठित नियम 2.1.3 खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2001 में वर्णित अर्हता नही रखता है, आवेदक द्वारा परिवाद के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेज राजस्थान राजपत्र विशेषांक जुलाई 26, 2011 की क्रम संख्या 64 पर आवेदक का नाम अंकित है एव आवेदक का मात्र एल.टी. होना अंकित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्थान राजपत्र विशेषांक जूलाई 26, 2011 एंव खाद्य सुरक्षा एंव मानक नियम 2011 के नियम 2.1.3 को एक साथ पढने से यह भली भाति साबित है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अर्हता नही रखता है इसी आधार पर परिवाद सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। आवदक द्वारा सैम्पल लेने व सैम्पल को जांच हेतु भेजने में विधि व आज्ञापक नियमों की पालना नही की गई है, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत फुड एनालिस्ट कोटा की जांच रिपोर्ट दिनाक 15.05.2015 व रैफरल फूड लेबोरेट्री गाजीयाबाद की जांच रिपोर्ट दिनांक 01.09.2015 को एक साथ देखने से यह स्पष्ट है कि आवेदक ने सैम्पलिंग की कार्यवाही विधि सम्मत तरीके से नही की है, फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट में केवल मिल्क फैट 4.05 प्रतिशत के स्थान पर 4.02 प्रतिशत होना बताया है, शेष कन्टेन्टस प्रोपर बताये गये है, एक्ट के अनुसार मिल्क फैट मिनिमम 4.05 प्रतिशत होना चाहिए ज्यादा कितना भी हो सकता है, रैफरल फूट लेबोरेट्री के अनुसार मिल्क फैट 4.05 प्रतिशत से अधिक यानी 10.0 प्रतिशत बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त से लिये गये सैम्पल में किसी प्रकार की कमी नही है। इस तरह उक्त कार्यवाही ड्रॉप किये जाने योग्य है।

बहस अधिवक्ता अभियुक्त सुनी गई। बहस के दौरान वकील अभियुक्त ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध उक्त प्रकरण आवेदक की नाजायज मांग की पूर्ति न करने के कारण गलत तरीके से बनाया है। आवेदक ने अभियुक्त को पुलिस का भय दिखाकर कई खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये और उन कागजों का दुरूपयोग करते हुये गलत कार्यवाही अभियुक्त के विरूद्ध की गई है जबकि आवेदक ने अभियुक्त के ना तो किसी फार्म पर हस्ताक्षर कराये ना ही किसी फर्द पर हस्ताक्षर कराये, ना ही कोई फर्द या दस्तावेज पढकर सुनाया। गलत तरीके से खाली हस्ताक्षरयुक्त पेपरों का दुरूपयोग करते हुये उक्त प्रकरण बनाया गया है जिस प्रकरण की कार्यवाही इसी आधार पर ड्रोप किये जाने योग्य है। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत फुड एनालिस्ट कोटा की जांच रिपोर्ट दिनांक 15.05.2015 व रैफरल फूड लेबोरेट्री गाजीयाबाद की जांच रिपोर्ट दिनांक 01.09.2015 को एक साथ देखने से यह स्पष्ट है कि आवेदक ने सैम्पलिंग की कार्यवाही विधि सम्मत तरीके से नही की है, फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट में केवल मिल्क फैट 4.05 प्रतिशत के स्थान पर 4.02 प्रतिशत होना बताया है, शेष कन्टेन्टस प्रोपर बताये गये है, एक्ट के अनुसार मिल्क फैट मिनिमम 4.05 प्रतिशत होना चाहिए ज्यादा कितना भी हो सकता है, रैफरल फूट लेबोरेट्री के अनुसार मिल्क फैट 4.05 प्रतिशत से अधिक यानी 10.0 प्रतिशत बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त से लिये गये सैम्पल में किसी प्रकार की कमी नही है। इस तरह उक्त कार्यवाही ड्रॉप किये जाने योग्य है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा उक्त कार्य कर अपना और अपने परिवार का पेट पालन करता है अभियुक्त द्वारा उक्त कार्य बहुत ही छोटे स्तर पर किया जाता है। अतः नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण को ड्रॉप फरमाए जाने हेतु निवेदन किया है।

हमारे द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न **FOOOD SAFETY & STANDERDS LABORATORY** कोटा की **REPORT NO -FSSL/KOTA/411 DATE 15-05-2015** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

"Opinion- The sample of "MIXED MILK (LOOSE)BEARING CODE NO H-618 DOES NOT CONFORM TO THE PRESCRIBED QULITY STANDARDS UNDER FSS ACT 2006 RULES & REGULATION 2011 HENCE IT IS DECLARED SUB STANDARD"

उक्त रिपोर्ट के मुताबिक मिश्रित दुध (खुला) का सेम्पल **SERIAL NO. H-618 [SUB-STANDARED]** पाया गया है। हमारे द्वारा रैफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजीयाबाद से प्राप्त जांच सट्रिफिकेट नम्बर/596/Sept/15-Raj दिनांक 01.09.2015 का भी अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है-

एव

"**Opinion**- Sample of Mishirit Dudh (khula) does not dconform to th standards laid down in table under Regulation No 2.1.1(1) of Food Safety & Standars (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011, as the sample shows Milk solids nto fat bgelow the minimum prescribed limit and B.R. Reading at 40 ° C above the maximum prescribed limit. Further, sample shows presence of Skimmed Milk Powder which is not permitted under Regulation No 1.2.10 of Food Safety & Standards (Food Products Standardards and Food Additive) Regulations, 2011 The sample is thus sub-standard under Section 3(1)(zx) of FSS Act, 2006" उक्त रिपोर्ट के आधार पर भी अभियुक्त द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (खुला) सब स्टैण्डर्ड (SUB-STANDARED) का पाया गया है।

अभियुक्त द्वारा सब स्टैण्डर्ड (SUB-STANDARED) प्रकृति की खाद्य वस्तु निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्त द्वारा अंकित कथनों के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत है कि आवेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध की गई कार्यवाही उचित है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को 50,000/–(अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.2.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी